तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
9-4-26	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उप. प्रार्थी अप्रार्थी 8, 18 व 19 की तामील हो रजि-28 समन तामील आगामी कार्य दिवस में पेश करने की हिदायत दी गई वास्ते तामील पत्रावली 21-4-26 को पेश हो।
21-4-26	पत्रावली पेश हुई बार के चुनाव होने से कार्य स्थगित रहा वास्ते पूर्व आदेशानुसार पत्रावली 28-4-26 को पेश हो।
28-4-26	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी स. 18 व 19 के नाम प्रार्थना पत्र से विलोपित किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से अप्रार्थी स. 18, व 19 के हितो पर कोई प्रभाव नही पड़ने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है पत्रावली वास्ते आदेश 5-5-26 को पेश हो।
5-5-26	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला—बून्दी(राज0)

104 / प्रा0पत्र / 2025
दायरा दिनांक 16.09.2025

पीठासीन अधिकारी
श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी(RAS)

बउनवान

1. सत्यनारायण आ0 किसना जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. महावीर प्रसाद आ0 भंवरलाल जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3. कोशल्या कुमारी पुत्री भंवर जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
4. जमनाशंकर पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
5. बादाम बाई पुत्री रतनलाल जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
6. बाबूलाल पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
7. राधेश्याम पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
8. रामप्यारी पत्नी भंवरलाल जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
9. रामसिया पुत्र भंवरलाल जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
10. सीमा पुत्री भंवरलाल जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
11. कन्या बाई पुत्री गोपाल जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
12. कमला शंकर पुत्र प्रहलाद जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
13. किसकिन्दा बाई पुत्री प्रहलाद जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
14. गुडडी बाई पुत्री प्रहलाद जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

15. नन्द किशोर पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
16. प्रकाश चन्द पुत्र प्रहलाद जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
17. प्रथम स्वरूप पुत्र प्रहलाद जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
18. बद्रीलाल पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
19. बंशी लाल पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
20. मांगीलाल पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
21. रामप्रसाद पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
22. गिरराज पुत्र रामनाथ जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
23. फूलचन्द पुत्र रामनाथ जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः— 05.05.2026

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ख0सं0 442 रकबा 2.88 हैक्ट0, ख0सं0 687 रकबा 0.05 हैक्ट0, ख0सं0 691 रकबा 0.01 हैक्ट0, ख0सं0 701 रकबा 0.0 हैक्ट0, ख0सं0 871 रकबा 0.76 हैक्ट0, ख0सं0 96 रकबा 0.75 हैक्ट0 कुल किता 6 योग रकबा 4.49 हैक्ट0 वाके ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है जिसमें से प्रार्थी ख0सं0 96 रकबा 0.75 हैक्ट0 कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है क्योकि ख0सं0 96 की सीमा चारों ओर से अप्रार्थीगण 1 लगायत 23 की कृषि भूमि की सीमाओं से लगी हुई है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 27.05.2025 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि का सीमाज्ञान किया गया लेकिन सीमाज्ञान की रिपोर्ट में प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाओं की स्पष्ट जानकारी चिन्हित नही की गई है कि कृषि भूमि की सीमाएं कहा अंकित है इसलिए प्रार्थी अपनी कृषि भूमि की सीमाए व पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी की खाते एंव कब्जे की कृषि भूमि के सीमाज्ञान के संबंध में कोई विवाद उत्पन न हो व कृषि भूमि का रकबा सुरक्षित रहे इस कारण सीमाकंन कर पत्थरगढी करवाना चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी
(बून्दी)

ओर अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमाबन्दी अनुसार सीमाचिन्ह लगाये जाकर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को दिए जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण 1 लगायत 17 व 20 लगायत 23 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व दिनांक 25.03.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई अप्रार्थी संख्या 18,19 के नाम प्रार्थना पत्र से डिलिट किये जाने का प्रा0पत्र पेश किया गया प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2026 को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 18,19 का नाम प्रार्थना पत्र से डिलिट किया गया।

हमारे द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के मुताबिक आराजी ख0सं0 442 रकबा 2.88 हैक्ट0, ख0सं0 687 रकबा 0.05 हैक्ट0, ख0सं0 691 रकबा 0.01 हैक्ट0, ख0सं0 701 रकबा 0.0 हैक्ट0, ख0सं0 871 रकबा 0.76 हैक्ट0, ख0सं0 96 रकबा 0.75 हैक्ट0 कुल किता 6 योग रकबा 4.49 हैक्ट0 वाके ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है जिसमें से प्रार्थी ख0सं0 96 रकबा 0.75 हैक्ट0 वाके ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी स्थित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज रिकार्ड होने से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि की सीमाओं की पुख्ता निशानदेही के लिए पत्थरगढी करवाने के कानूनन अधिकारी है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एंव सलग्न दस्तावेज से यह भी प्रतीत होता है कि उक्त सीमाज्ञान संबन्धित पूर्व में भी विवाद होना स्पष्ट होता है प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 27.05.2025 को भी सीमाज्ञान कराया गया था प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पुख्ता पैमाइश कराकर पत्थरगढी कराने के अनुतोष चाहते है जिससे सीमा विवाद समाप्त हो जायें। ओर अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी के आदेश फरमाये जावे।

हमारे द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी के सीमाकंन हेतु भविष्य मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन न हो कृषि भूमि का रकबा सुरक्षित रहे व अन्य पडौसी काश्तकारो की दखलन्दाजी होने से विवाद नही बढने हेतु पत्थरगढी करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थना पत्र में भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया भूमिधारी तहसीलदार द्वारा कोई जवाब पेश नही किया गया ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर भविष्य में कृषि भूमि सीमाकंन संबंधी विवाद उत्पन न हो को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की कृषि भूमि ख0सं0 96 रकबा 0.75 हैक्टर, ग्राम गुहाटा पटवार हल्का गुहाटा तहसील

उपखण्ड अधिकारी

इन्द्रगढ़ जिला बून्दी स्थित कृषि भूमि का सीमाकंन हेतु राजस्व कर्मचारियो की टीम गठित कर मौके पर पक्षकारो को तलबकर बन्दोबस्त नक्शेनुसार सीमाए चिन्हित कर पत्थरगढी करवायी जावे। आराजी के सीमाकंन एंव पत्थरगढी कायम करने मे होने वाले व्यय को स्वंय प्रार्थी कृषक खातेदार द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)